

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 76/2018

1- सागर राम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं
जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,
सुनारी बनाम सागर राम मु० नं० 72/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.


आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी सागर राम



अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

पुत्र श्री मालाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 में खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किरम गैर मुमकिन भूमि गौचर पर नकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवम् अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किरम गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर सागर राम पुत्र श्री मालाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि सागर राम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये जाने के तहत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु0 न0 72/2018 दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम मालाराम) में अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रूपये का आदेश मु0 न0 06 रूपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किरम गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया है।
इस प्रकार अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:--

अतिरिक्त जिला क्लर्क
बीकानेर (नागौर)

—: अपील के आधार :—

1. कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2. कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अभाव में निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3. कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4. कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली नहीं मिली है तथा ना ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। अपीलान्ट/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6. कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उस स्थान पर अपीलान्ट के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हैं। उक्त स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 100 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बीकानेर (नागौर)

अधिज होकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकानात बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई मकानात नहीं है जो कि जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को जीविकोपार्जन के लिए उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की मेहनत कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड़ कर अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने पर मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही विरुद्ध झोप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलार्थी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक मसूदा तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशांषा की है, जो मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट दिये जा चुके है। जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी उक्त वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।


अतिरिक्त जिला क्लर्क
डी.डी.वा. (न्याय)

श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर

अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है
दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व
अपमाने की कृपा करावे।

अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की
गयी 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पोंडेंट को जरिये
नोटा किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय
लाडनूं द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो
नोटा किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर
सुनवाई का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा
सुनवाई के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा
भूमि पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने
की न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं द्वारा आलेकमी घोषित
सुनवाई से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम
अनुसार जुर्माना रूपये 06/- अक्षर रूपये छः का अर्थवण्ड उपरोक्त
अतिक्रमण के आदेश दिये गये।


अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को दिया
गया नोटा बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा
अपीलान्ट रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा
अपीलान्ट को ध्यान भी ले रखे है। तथा आवादी विस्तार के लिये जिला
अधीनस्थ न्यायालय की आवादी भूमि के लिये भूमि के आखंडन हेतु भी निवेदन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)


अपील को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर.
अधीनस्थ भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं
है। यह गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवादी का पट्टा जारी
करा है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्त को
अधीनस्थ नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्त द्वारा दिनांक 11.9.
2018 को न्याय पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ
पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की रिपोर्ट
द्वारा भी सागर राम पुत्र मालाराम को गोचर भूमि पर मकान व
भूमि पर अधिकारी बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आवादी
द्वारा दिनांक 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति बताया
गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय

∴ आ दे श ∴

अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ
आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।


(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।


(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)